रजिस्टर्ड नं0 पी0/एस0 एम0 14.

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

(असाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्यशासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, मंगलवार, 21 दिसम्बर, 1983/30 अग्रहायण, 1905

हिमाचल प्रदेश सरकार

कृषि विभाग

अधिसूचनाएं

शिमला–171002, 23 नवम्बर, 1983

सं0-एग्र0-एफ0(14) 1/82.—यत: राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश को यह प्रतीत होता है कि सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु नामत: राजगढ़ (जिला सिरमौर) में विनियमित मण्डी की स्थापना हेतु भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है, अतएव एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि निम्नलिखित विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है, उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है।

2. यह अधिसूचना ऐसे सभी व्यक्तियों, जो इस से सम्बन्धित हो सकते हैं कि जानकारी के लिए भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 4 के उपबन्धों के अन्तर्गत जारी की जाती है।

2145-राजपत्र/83-21-12-83—1,149.

मूल्य : 20 पैसे।

3. उपरोक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश इस समय इस उपक्रम में कार्यरत सभी अधिकारियों, उनके कर्मचारियों और श्रमिकों को इलाके म किसी भूमि में प्रवेश करने और सर्वेक्षण करने और उक्त धारा द्वारा अपेक्षित या अनुमत अन्य सभी कार्य करने के लिए सहर्ष अधिकार देते हैं ।

4. कोई भी ऐसा हितबद्ध व्यक्ति जिसे उक्त परिक्षेत्र में कथित भूमि के अर्जन पर कोई आपत्ति हो वह इस अधिसूचना के हिमाचल प्रदेश के राजपत्र में प्रकाशित होने के तीस (30) दिनों की अवधि के भीतर लिखित रूप में भू-अर्जन अधिकारी (सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट) राजगढ़ (जिला सिरमौर) को अपनी आपत्ति दायर कर सकता है ।

विवरणी

जिला: सिरमौर: तहसील: राजगढ़:

गांव	खसरा नं0	क्षेत्र बीघा	क्षेत्र बिस्वा
1	2	3	
राजगढ़ कृष्णकुमार	675/79/2	0	10
	750/702/79203/2	3	9
	750/702/79/263/3	4	2
	कुल ..	8	1

शिमला–171002, 23 नवम्बर, 1983

संख्या-एम0-एफ0(29)5/77.—यत: राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश को यह प्रतीत होता है कि सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन नामत: ऊना (हि0 प्र0) में रेगुलेटिड मार्केट के निर्माण हेतु भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है अत एव एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि निम्न विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है।

2. यह अधिसूचना ऐसे सभी व्यक्तियों जो इससे सम्बन्धित हो सकते हैं की जानकारी के लिए भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 4 के उपबन्धों के अन्तर्गत जारी की जाती है।

3. उपरोक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश इस समय इस उपक्रम में कार्यरत सभी अधिकारियों, उनके कर्मचारियों और श्रमिकों को इलाके में किसी भूमि म प्रवेश करन और सवक्षण करने और उक्त धारा द्वारा अपेक्षित या अनुमत अन्य सभी कार्यों को करने के लिए सहर्ष प्राधिकृत देते हैं ।

4. कोई भी ऐसा हितबद्ध व्यक्ति जिसे उक्त परिक्षेत्र में कथित भूमि के अर्जन पर कोई अपत्ति हो तो वह इस अधिसूचना के हिमाचल प्रदेश के राजपत्र में प्रकाशित होने के तीस (30) दिन की अवधि के भीतर लिखित

रूप में भू-अर्जन समाहर्ता ऊना, जिला ऊना को अपनी आपत्ति दायर कर सकता है।

विवरणी

जिला: ऊना तहसील: ऊना

गांव	खसरा नं0	क्षेत्र कनाल मरल		विशेष कथन
1	2	3		4
ऊना (हदबस्त नं0 208)।	4892/4494/718	0	01	श्रीमती इन्द्र देवी, ओम सिंह तथा जनक सिंह।
	4892/4494/718	0	01	श्री भाग सिंह
	4892/4494/718	0	01	श्री दसौंधी राम
	4892/4494/718	0	03	सूरम सिंह तथा पृथ्वी सिंह।
	4892/4494/718	0	02	जिला विपणन तथा आपूर्ति संघ ऊना।
	4894/4495/718	0	14	श्री राम आसरा पुत्र श्री खुशी राम।
	4888/4492/718	0	03	नरेन्द्र सिंह तथा निर्मला रानी।
	कुल	1	05	

आज्ञा से,
बी0 सी0 नेगी,
सचिव।

कार्यालय उपायुक्त, जिला किन्नौर, कल्पा

आदेश

कल्पा, 29 नवम्बर, 1983

संख्या के0 एन0 आर-422/74.—क्योंकि अतिरिक्त जिलाधीश विकास खण्ड पूह की रिपोर्ट दिनांक 19 सितम्बर 1983 के अन्तर्गत श्री ताछैन नरगू प्रधान ग्राम पंचायत मूरंग ने मु0 23,500 रु0 नकद शेष के रूप में अपने निजी प्रयोग में लाया है।

ये कि इस सम्बन्ध में श्री ताछैन नरगू प्रधान ग्राम पंचायत मूरंग को हिमाचल प्रदेश पंचायती राज नियम 1971 के नियम 77 के अन्तर्गत इस कार्यालय के आदेश संख्या कनर-422/74, दिनांक 7 अक्तूबर, 1983 के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था कि क्यों न उनके विरुद्ध हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम की धारा 54 के अन्तर्गत कार्यवाही की जाए। ये कि श्री ताछैन नरगू का उत्तर इस कार्यालय को अतिरिक्त जिलाधीश, पूह के माध्यम से प्राप्त हुआ जिसमें श्री ताछैन नरगू ने 10 नवम्बर 1983 तक राशि जमा करने की मोहलत मांगी थी। अतिरिक्त जिलाधीश की रिपोर्ट दिनांक 21 नवम्बर, 1983 के अनुसार उक्त प्रधान ने कोई राशि जमा नहीं की और न ही कोई हिसाब-किताब प्रस्तुत किया। उपरोक्त से स्पष्ट है कि श्री ताछैन नरगू ने राशि का दुरुपयोग किया है।

अतः, मैं विवेक श्री वास्तव, उपायुक्त जिला किनौर, हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1968 की धारा 54 के अन्तर्गत अधीन प्राप्त अधिकारों के अन्तर्गत श्री ताछैन नरगू प्रधान ग्राम पंचायत मूरंग को प्रधान पद से तत्काल निलम्बित करता हूं तथा आदेश देता हूं कि उक्त प्रधान अपने कार्य का भार तथा उनके पास पंचायत की जो सम्पत्ति चल व अचल नकद या अन्य रुप में जो भी हो शीघ्र इस आदेश के मिलते ही उप-प्रधान ग्राम पंचायत मूरंग को हस्तान्तरित करें तथा श्री ताछैन नरगू प्रधान (निलम्बित) इस आदेश के प्राप्ति के बाद ग्राम पंचायत की किसी भी कार्यवाही में भाग नहीं लेगा।

रजिस्टर्ड ए0 डी0
श्री ताछैन नरगू,
प्रधान ग्राम पंचायत मूरंग,
विकास खण्ड पूह जला किन्नौर।

कल्पा, 29 नवम्बर, 1983

संख्या के0एन0आर-508/79.–क्योंकि उप-सम्भागीय अधिकारी (ना0) विकास खण्ड निचार की रिपोर्ट के अनुसार श्री सीता राम प्रधान ग्राम पंचायत बरी ने मु0 3154 रु0 50 पैसे का दुरुपयोग किया जिस का विवरण निम्न प्रकार से है :–

1. मस्ट्रौल मास दिसम्बर 1980 में दिनांक 23-12-80 से 31-12-80 तक सड़क पौण्डा से बरी योजना में 12 आदमियों की फर्जी हाजरी लगा कर मु0 549/– रु0 का दुरुपयोग किया।
2. मु0 2605 रु0 50 पैसे सिंचाई योजना बरी के मास जनवरी 1981 के मस्ट्रौल में फर्जी हाजरी लगा कर इस राशि का दुरुपयोग किया।

यह कि इस सम्बन्ध में श्री सीता राम प्रधान ग्राम पंचायत बरी को हिमाचल प्रदेश पंचायती राज नियम 1971 के नियम 77 के अन्तर्गत इस कार्यालय के आदेश संख्या कनर 508/79 दिनांक 11 जुलाई 1983 के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था कि क्यों न उनके विरुद्ध हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1968 की धारा 54 (1) के अन्तर्गत कार्यवाही की जाये।

यह कि श्री सीता राम प्रधान ग्राम पंचायत बरी का उत्तर उप-सम्भागीय अधिकारी (ना0) निचार की टिप्पणी सहित इस कार्यालय को प्राप्त हुआ है। श्री सीता राम प्रधान के उत्तर तथा उप-सम्भागीय अधिकारी (ना0) निचार की टिप्पणी पर विचार किया गया और उत्तर सन्तोषजनक नहीं पाया गया तथा श्री सीता राम के विरुद्ध पुलिस में अभियोग भी दर्ज हो चुका है जिस की पुलिस छानबीन कर रही है।

अतः, मैं विवेक श्री वास्तव, उपायुक्त, जिला किन्नौर इस मामले की छानबीन कर के सभी बातों का ध्यान रखते हुए हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम की धारा 54 (1) के अन्तर्गत श्री सीता राम प्रधान ग्राम पंचायत बरी, तहसील निचार को प्रधान पद से तत्काल निलम्बित करता हूं। तथा आदेश देता हूं कि उक्त प्रधान अपन कार्यभार तथा उसके पास जो भी सम्पत्ति चल व अचल, नकद या अन्य रूप में हो शीघ्र आदेश मिलते ही उप-प्रधान ग्राम पंचायत बरी को हस्तान्तरित करें तथा श्री सीता राम प्रधान (निलम्बित) इस आदेश प्राप्ति के तुरन्त बाद ग्राम पंचायत की किसी भी कार्यवाही में भाग नहीं लेगा।

विवेक श्री वास्तव,
उपायुक्त जिला किन्नौर, कल्पा।

रजिस्टर्ड ए0 डी0
श्री सीता राम प्रधान,
ग्राम पंचायत बरी,
विकास खण्ड निचार,
जिला किनौर हिमाचल प्रदेश।

नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित।